न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः– श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 03/2015

भगवानाराम पुत्र गोरखाराम जाति मेघवाल निवासी हिम्मटसर तहसील नोखा बीकानेर

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोखा जिला बीकानेर

रेस्पोडेन्ट

::अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956::

उपस्थिति :–

1– अपीलान्ट की ओर से – श्री प्रेमप्रकाश मदान् अधिवक्ता
2– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय दिनांक 26.03.2019

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का हिम्मटसर ने तहसीलदार नोखा के समक्ष पी–14 मय नजरी नक्शा के एक रिर्पोट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हिम्मटसर के खसरा नम्बर 478 कुल रकबा 1.50 हैक्टेयर किस्म कृषि कारबार संपरिवर्तन की भूमि पर संवत 2071 में भगवानाराम पुत्र गोरखाराम जाति मेघवाल निवासी हिम्मटसर ने चना, जीरा काश्त कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जावे। तहसीलदार नोखा ने इस रिर्पोट के आधार पर भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज कर अतिक्रमी को नोटिस जारी किया तदन्तर नोटिस तामील होने के बाद आदेशिका दिनांक 18.3.15, 27.3.15 एवं 7.4.15 में गिरदावर/पटवारी हल्का को फसल कुर्की रिपोर्ट एवं निलामी हेतु की गई कार्यवाही से व्यथित होकर अपीलाण्ट पक्ष द्वारा यह अपील भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

2. अपील प्रस्तुत होने पर मामला दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया व मूल रिकार्ड मंगवाया जाकर मामले के गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. अपीलाण्ट पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ कर निवेदन किया कि अपीलान्ट की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 478 तादादी 1.50 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम हिम्मटसर में स्थित है। इस भूमि का समपरिवर्तन करवाने की कार्यवाही की गई थी। लेकिन यह जमीन आज भी अपीलान्ट की रिकोर्ड में

अति. जिला कलक्टर
बीकानेर

Scanned by CamScanner

खातेदारी है। जमाबंदी संवत 2071 में भी अपीलान्ट का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। अपीलान्ट ने यह जायदाद मोहिनी पुत्री अमराराम से जरिये बैयनामा खरीद की थी। इस जायदाद पर अपीलान्ट की चना व जीरा काश्त की हुई थी। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 4.3.2015 को नाजायज काश्त की रिपोर्ट दी जिस पर नोटिस 18.3.2015 को जारी कर दिनांक 18.3.2015 को कुर्की के आदेश पारित कर दिये तथा दिनांक 27.3.2015 को कुर्की कर निलामी की कार्यवाही चालू कर दी। जबकि खातेदारी भूमि की न तो कुर्की हो सकती है और ना ही धारा 91 एलआर एक्ट के तहत कार्यवाही हो सकती है। विवादित जायदाद आज भी जमाबंदी में अपीलान्ट के नाम खातेदारी बोल रही है। समपरिवर्तन का नोट आज भी नहीं लगा हुआ है। रकबा आज भी अपीलान्ट के नाम चल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध काश्त की श्रेणी में रकवा रखा है जबकि अपीलान्ट की स्वयं के नाम की कृषि भूमि है। अवैध काश्त की रिपोर्ट भी गलत दी गई है। अपीलान्ट की मौके पर चना व जौरे की फसल खड़ी है यदि वो कुर्क रहती है तो निश्चित रूप से उसकी रोटी रोजी का साधन ही समाप्त हो जायेगा। अपीलान्ट खातेदार काश्तकार है। अपीलान्ट स्वयं इसका मालिक सरकार का इस जायदाद से कोई लेना देना नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जवाब देही लिये बिना नोटिस दिये कुर्की करने में घोर कानूनी भूल की है। हुकम अदालत मातहत खिलाफ कानून उसूल एवं रूदेदाद मिसल होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा आदेश तहसीलदार नोखा द्वारा दिनांक 18.3.2015, 27.3.2015 एवं 7.4.2015 को निरस्त किया जावे।

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि पटवारी हल्का हिम्मटसर द्वारा पी– 14 में आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि अपीलार्थी भगवानाराम पुत्र गोरखाराम जाति मेघवाल साकिन हिम्मटसर ने खसरा नम्बर 478 रकबा 1.50 हैक्टेयर कृषि कारबार संपरिवर्तन भूमि पर संवत 2071 में अवैध रूप से चना व जीरा काश्त कब्जा कर अतिक्रमण किया है। प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई । अपीलार्थी को तलब किया गया तथा अपीलार्थी को जवाब हेतु समचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 के तहत फसल कुर्की/निलामी की कार्यवाही कर विधि सम्मत आदेश प्रदान किये है। अतः अपील अपीलान्ट नामंजूर फरमाई जावें।

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार अपीलार्थी द्वारा ग्राम हिम्मटसर के खसरा नम्बर 478 कुल रकबा 1.50 हैक्टयेर कृषि कारबार हेतु संपरिवर्तन भूमि पर चना, जीरा काश्त कर अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया तथा पत्रावली दिनांक 18.3.2015 को गिरदावर/पटवारी से फसल कुर्की संबंधी रिपोर्ट हेतु रखी गई थी। दिनांक 27.3.15 को फसल कुर्क कर दिनांक 7.4.2015 को फसल कुर्की निलामी रिपोर्ट में रखी गई । उक्त आदेश अन्तरिम आदेश की श्रेणी में आते है, अन्तिम आदेश नहीं है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अन्तरिम आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है, जो अन्तिम आदेश नहीं होने के कारण अपील संधारण योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 26.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।

(ए.एच. गौरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner